न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—04 / 2021 (2021 / 21) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्यारी पुत्री कालु जाट निवासी कोट हाल भगतपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—भैरूलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गोपी पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सोहन पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—बाली पुत्री हरलाल पत्नि शंकर जाट निवासी कोट हाल घोसुण्डी तहसील आमेट
5—प्रेमी पुत्री हरलाल पत्नि रोशन जाट निवासी कोट हाल मण्डोल तहसील रायपुर
6—मांगी बेवा हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—चांन्दी पुत्री कालु पत्नि मूला जाट निवासी कोट हाल आमलीका छोटा खेड़ा तहसील सहाड़ा
8—कंकु पुत्री कालु पत्नि जवाहर जाट निवासी कोट हाल बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. दवेन्द्र प्रसाद — अधिवक्ता प्रार्थीया
2. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः—28.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पिता कालु पिता तलोक जाट की खातेदारी ग्राम नन्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित आराजी संख्या 85 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 86 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 87 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 90 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 91 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 92 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त वर्णित आराजियात पूर्वजो की होकर पुश्तैनी है जो पिता कालुजी को अपने पूर्वजो से विरासत से प्राप्त हुई थी। प्रार्थीया के पिता कालुजी का सन् 1972 में देहान्त हो गया था। कालुजी के देहान्त के बाद नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 06. 08.1972 से उक्त वर्णित भूमि की विरासत से अकेले उनके पुत्रो हरलाल व मियाचन्द के अकेले नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कालुजी की विरासत में प्रार्थीया व उसकी बहने व उनके भाई मियाचन्द के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। नवीन बन्दोबस्त होने पर उक्त वर्णित आराजियात के नवीन नम्बर आराजी संख्या 102 रकबा 0.82 है0, आराजी संख्या 103 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 104 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 107 रकबा [illegible] आराजी संख्या 108 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 109 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या [illegible]0 रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 कायम किये ग[illegible] वर्णित [illegible]जियात में खातेदार हरलाल पिता कालु जी जाट नाम हटाया जाकर इन आराजियात में 1/4 हिस्सा प्रार्थीया क[illegible] विपक्षी संख्या 7 व 8 का भी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा और विपक्षी संख्या 1 से 6 का [illegible] रूप से 1/4 हिस्सा घोषित कराया जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये जाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:43 IST
Reason: SelfAttested

घोषणात्मक इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री बहक प्रार्थीया पारित कराया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः सादर प्रार्थना है कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित नवीन आराजियात कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित एवं भारित नहीं करें, प्रार्थीया को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें न अन्य से करावें। विपक्षी संख्या 9 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जावे कि अगर उपरोक्त वादग्रस्त अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें एवं विपक्षी संख्या 9 न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करे एवं मौके व रेकार्ड का यथास्थिति बनाये रखते का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 15.03.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 4, 5, 6, बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 9 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि विपक्षीगण के पूर्वज का देहान्त होने पर उनके विरासत के इन्तकाल हरलाल व मियाचन्द दोनो के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी 7, 8 ने मौखिक रूप से सहमति दी गई। मियाचन्द के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही होने से शरू से ही अपने पुत्र हरलाल के साथ रहते थे। मियाचन्द के जिवीत रहते अपने भाई हरलाल के पक्ष में एक विक्रय पत्र तादादी 50000 रूपये का दिनांक 24.06.1995 को निष्पादित करवाया जिसमें विक्रेता का 1/2 हिस्सा क्रय किया। और विक्रय का नामान्तकरण स्वीकृत होकर हरलाल के नाम दर्ज हुई जो आज भी दर्ज है। प्रार्थीया ने अपना 1/4 हिस्सा गलत अकिंत किया प्रार्थीया का 1/4 के बजाय 1/5 हिस्सा आता है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नही है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे नही है। हरलाल व मियाचन्द के जिवित रहते प्रार्थीया ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया सम्पूर्ण भूमि विपक्षी के नाम दर्ज है। विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि मूल खातेदार कालुजी थे उनके फोत होने पर उनके दोनो पुत्रो के नाम विरासत से दर्ज कर दी गई जबकि मृतक कालुजी के 2 पुत्र व 3 पुत्रीया वारीसान थी। प्रार्थीया की ओर कोई सहमति नही दी गई। दौराने वाद अगर भूमि विक्रय कर दी गई तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:43 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी [illegible] कथन किया कि मृतक कालुजी की विरासत हरलाल एवं मियाचन्द [illegible] के कोई औलाद नही होन से मियाचन्द के द्वारा अपना 1/2 [illegible] विक्रय कर दिया भूमि हरलाल के नाम दर्ज है। कब्जा विपक्षी का है। [illegible] 1/4 हिस्सा प्रार्थना पत्र में अकिंत किया जो गलत है अगर मृतक खातेदार कालु के सभी वारीसान का हिस्सा मान भी लिया जावे तो प्रार्थीया का 1/4 के बजाय 1/5 हिस्सा बनता है प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्य पेश

किये गये है। विपक्षी खातेदार कृषक है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि उभयपक्ष के मूल पुरूष कालुजी थे जिनके नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी। कालु पिता तिलोक के फोत होने पर उनके विधिक वारीस के रूप में सजरा अनुसार 2 पुत्र व 3 पुत्रीयां हुई जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया द्वारा अपने भाई मियाचन्द को लाऔलाद बता कर अपना 1/4 हिस्सा मानते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मृतक मियाचन्द के द्वारा अपने हिस्से की भूमि भाई हरलाल के पक्ष में विक्रय कर दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का 1/4 के बजाय 1/5 हिस्सा बनता है। भूमि प्रार्थीया का पैतृक भूमि है प्रार्थीया मृतक खातेदार कालु पिता तिलोक जाट की पुत्री है जिसमें विपक्षी भी प्रार्थीया को मृतक कालु की विधिक वारीस मानते है। प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है अगर भूमि वर्तमान खातेदार द्वारा विक्रय कर दी जाती है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित नवीन आराजी संख्या 102 रकबा 0.82 है0, आराजी संख्या 103 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 104 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 107 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 109 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 110 रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में प्रार्थीया के 1/5 हिस्से तक की भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित एवं भारित नहीं करें, प्रार्थीया को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें न अन्य से करावें। मौके व रेकार्ड का यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:43 IST
Reason: SelfAttested